संख्या-180/2018/2343/26-3-2018-1377/18

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाजकल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 27 अगस्त 2018

विषयः-ई0आर0पी0क्लाउड बेस साफ्टवेयर तैयार किये जाने हेतु अग्रिम धनराशि के भुगतान की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-843/स0क0/शिक्षा-अ/01/70/2018-19, दिनांक-04.06.2018 एवं पत्रांक-1468/स0क0/शिक्षा-अ/03/70/2018-19 दिनांक-17.07.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ई0आर0पी0क्लाउड बेस साफ्टवेयर तैयार किये जाने के लिये धनराशि रू0-25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र) श्रीट्रान इण्डिया लि0 को अग्रिम रूप से भुगतान किये जाने की अनुमति, चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-"2225-01-789-13-विभिन्न मदों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण-42-अन्य व्यय मानक मद में प्राविधानित धनराशि, जिसकी वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निदेशक, समाज कल्याण के निवर्तन पर रखी जा चुकी है, से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1)-धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(2)-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(3)-निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा पूर्व में दी गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्ताकिंत आकडों में भी समायोजन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(4)-किसी भी अन्य शेष अग्रिम भुगतान की अनुमति भुगतान बिल बेसिस पर किया जायेगा।

भवदीय
सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-180/2018/2343/26-3-2018तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।